



लखनऊ विश्वविद्यालय, लखनऊ

दिनांक 04 सितम्बर 2014 को सम्पन्न हुई कार्य परिषद की बैठक की कार्यवाही

उपस्थिति

1- डॉ० एस०बी० निमसे, कुलपति	— अध्यक्ष
2- प्रो० ए०के०सेन गुप्ता, प्रति-कुलपति	— सदस्य
3- प्रो० निरूपमा अग्रवाल	— सदस्य
4- प्रो० यू०सी० वशिष्ठ	— सदस्य
5- प्रो० डी०पी० तिवारी	— सदस्य
6- प्रो० गुरदीप सिंह	— सदस्य
7- श्री आर०सी० त्रिपाठी	— सदस्य
8- सुश्री परवीन तलहा	— सदस्य
9- श्री अनिल कुमार सिंह	— सदस्य
10- श्री देवी प्रसाद चौधरी	— सदस्य
11- श्री सुरेश चन्द्र तिवारी	— सदस्य
12- डॉ० अशोक कुमार सोनकर	— सदस्य
13- डॉ० महेन्द्र कुमार	— सदस्य
14- डॉ० अनिल कुमार	— सदस्य
15- डॉ० मो० सिराजुद्दीन	— सदस्य
16- डॉ० यू०एन० सिन्हा	— सदस्य
17- डॉ० भास्कर श्रीवास्तव	— सदस्य
18- डॉ० बबिता जयसवाल	— सदस्य
19- डॉ० शशि लता सिंह	— सदस्य
20- डॉ० एस०पी० सिंह	— सदस्य
21- कै० अमिताभ प्रकाश, कुलसचिव	— सचिव

बैठक में श्री रत्नेश्वर भारती, वित्त अधिकारी भी उपस्थित रहे।

माननीय कुलपति महोदय ने बैठक के प्रारम्भ में सर्वप्रथम सभी माननीय सदस्यों का स्वागत किया। कार्य परिषद में नवागत माननीय सदस्य डॉ० यू०एन० सिन्हा एवं डॉ० भास्कर श्रीवास्तव का भी स्वागत किया। कार्य परिषद की बैठकों में माननीय न्यायाधीश श्री डी०पी० सिंह, डॉ० आभा बिश्नोई एवं डॉ० आर० के० तिवारी के द्वारा समय-समय पर प्रदत्त मार्गदर्शन के लिए कुलपति महोदय ने आभार व्यक्त किया।

कार्य परिषद की बैठक 19.07.2014 के कार्यवृत्त को निम्न संशोधन के साथ पढ़ा जाय को अनुमोदित किया।

- (i) कार्य परिषद की बैठक दिनांक 19.07.2014 के कार्यवृत्त में डॉ० मो० सिराजुद्दीन, उपाचार्य, जन्तु विज्ञान विभाग को नवागत सदस्य के रूप में स्वागत किया गया था को सम्मिलित करते हुए पढ़ा जाय।
- (ii) कार्य परिषद की बैठक 19.07.2014 की पूरक कार्यसूची के कार्यवृत्त के विनिश्चय संख्या 01 में डॉ० ध्रुव सेन सिंह, भूगर्भ विज्ञान विभाग को एसोसिएट प्रोफेसर के स्थान पर प्रोफेसर पढ़ा जाय।

- मद संख्या 01: कार्य परिषद ने अपनी बैठक दिनांक 19.07.2014 के कार्यवृत्त में आंशिक संशोधन करते हुए दिनांक 19.07.2014 के कार्यवृत्त में माननीय सदस्य श्री डी0पी0 चौधरी, के पत्र के contents को विलोपित करते हुए सम्पुष्टि की गयी। साथ ही यह भी निर्णय लिया गया कि उक्त पैरा को कार्यसूची से ही विलुप्त समझा जाय।
- मद संख्या 02: कार्य परिषद की बैठक दिनांक 19.07.2014 में लिये गये निर्णयों से परिषद अवगत हुई। मद संख्या 11 पर कुलपति जी यह निर्देश दिया कि सम्बन्धित को 2 कार्यदिवसों में पत्र जारी कर दिया जाय।
- मद संख्या 03: डॉ0 मोहम्मद तारिक, प्रवक्ता, अंग्रेजी विभाग, लखनऊ विश्वविद्यालय, लखनऊ को दिनांक 01.09.2013 से 30.06.2014 तक स्वीकृत अवैतनिक असाधारण अवकाश में से दिनांक 25.06.2014 से दिनांक 30.06.2014 तक के असाधारण अवकाश को निरस्त करने हेतु परिषद ने अनुमोदन प्रदान किया। कार्यसूची में अंकित डॉ0 मोहम्मद तारिक को, जन्तु विज्ञान के स्थान पर अंग्रेजी विभाग संशोधित समझा जाय, कार्यवृत्त में इस संशोधन पर भी कार्य परिषद ने स्वीकृति प्रदान की।
- मद संख्या 04: डॉ0 चाँदकी राम गौतम, असिस्टेन्ट प्रोफेसर, भौतिक विज्ञान विभाग को राइस विश्वविद्यालय, यू0एस0ए0 में शोध कार्य हेतु दिनांक 01.10.2014 से 30.09.2015 तक स्टडी लीव पूर्ण वेतन पर स्वीकृत करने का निर्णय कार्य परिषद ने लिया।
- मद संख्या 05: परिषद द्वारा मद संख्या 05 को स्थगित रखने का निर्णय लिया गया।
- मद संख्या 06: परिषद ने परीक्षाफल सूचना संख्या रिसर्च/07/2014 दिनांक 11.08.2014 के अनुसार पी-एच0डी0 की उपाधि प्रदान किये जाने पर अनुमोदन प्रदान किया।
- मद संख्या 07: इस मद में अंकित सम्बद्धता से सम्बन्धित समस्त प्रकरणों में परिषद द्वारा यह निर्णय लिया गया कि जो पाठ्यक्रम एन0सी0टी0 के अन्तर्गत आते हैं उन पाठ्यक्रमों को माननीय उच्च न्यायालय के निर्णय के क्रम में 07 जुलाई के उपरान्त वर्तमान सत्र के लिए कोई सहयुक्तता प्रदान नहीं की जायेगी। किन्तु मद संख्या 07 (ख), (ग) एवं (ज) में उल्लिखित पूर्व संचालित एम0एड0 व एम0पी0एड0 पाठ्यक्रमों को शासन द्वारा दी गयी सहयुक्तता की पूर्वानुमति की शर्तों के अधीन सहयुक्तता प्रदान करने की संस्तुति की गयी।
- एवं
- मद संख्या 07(क),(घ), (ङ), (च), (छ), (ज) केवल एम0ए0 (शिक्षा शास्त्र विषय) (झ), (ञ), (ट), (ठ), (ड), (ढ), को वर्तमान सत्र से सहयुक्तता प्रदान करने की बहुमत से कार्य परिषद ने अनुमोदन प्रदान किया। इस प्रकरण पर श्री आर0सी0 त्रिपाठी ने वर्तमान सत्र से प्रारम्भ करने पर अपनी सैद्धान्तिक रूप से असहमति प्रदान की।
- मद संख्या 08: कार्य परिषद के समक्ष वित्त अधिकारी महोदय ने यह स्पष्ट किया कि विनिश्चय संख्या 04 में 07 बी0एड0 महाविद्यालयों द्वारा जो अधिक शुल्क लिया गया है उसको वापस करा दिया जायेगा।
- मद संख्या 09 : कार्य परिषद द्वारा सर्वसम्मति से वित्त समिति की बैठक दिनांक 25.06.2014 के कार्यवृत्त की सम्पुष्टि की गई। परिषद द्वारा वित्त समिति के उक्त कार्यवृत्त के अन्य बिन्दु संख्या-01 पर सैद्धान्तिक सहमति प्रदान किया गया। सर्वसम्मति से यह व्यवस्था भी स्थापित किया गया कि ओ0एन0जी0सी0 से निर्धारित धनराशि प्राप्त होने पर प्रथम स्तर पर रू0 2.5 करोड़ का विश्वविद्यालय अंशदान जारी किया जाये। विश्वविद्यालय द्वारा अंशदान की शेष धनराशि के लिए

ONGC/शासकीय/ अर्द्धशासकीय/निजी संस्थाओं से प्रयास कर धनराशि की व्यवस्था की जाये, यदि अन्य किसी ONGC/शासकीय/ अर्द्धशासकीय/निजी संस्था से कोई सहायता/अनुदान नहीं प्राप्त होता है, तो विश्वविद्यालय द्वारा शेष अंशदान की धनराशि का भुगतान बी0एड0 प्रवेश परीक्षा-2010 की उपलब्ध आय अथवा अन्य किसी मद की आय से किया जाय।

मद संख्या 10 :

दिनांक 19.07.2014 को सम्पन्न कार्य परिषद की बैठक की पूरक कार्यसूची के विनिश्चय संख्या 04 पर अंकित वित्त समिति की बैठक में सदस्यता हेतु एक व्यक्ति के निर्वाचन के प्रकरण को कार्य परिषद की आगामी बैठक में प्रस्तुत करने का निर्णय लिया गया।

मद संख्या 11 :

भौतिक विज्ञान विभाग की चयन समिति की सम्पन्न बैठक दिनांक 21.07.2014 एवं 22.07.2014 पर निम्नलिखित अभ्यर्थियों के चयन समिति की संस्तुतियों पर सम्यक विचारोपरान्त निम्न निर्णय लिया गया:-

- 1- Prof. Under CAS – 01 (Old Rules, Compliance of Chancellor Orders)
 - A- Dr. Usha Bajpai, Reader in Department of Physics promoted as Professor of Physics under Career Advancement Scheme.
- 2- Professors Under CAS – 6 cases (Under New Rules)
 - B- Dr. M.M. Verma, Associate Professor in Department of Physics Promoted as a Professor – Stage 5 under Career Advancement Scheme.
 - C- Dr. Rajeev Manohar, Associate Professor in Department of Physics Promoted as a Professor – Stage 5 under Career Advancement Scheme.
 - D- Dr. Anchal Srivastava, Associate Professor in Department of Physics Promoted as a Professor – Stage 5 under Career Advancement Scheme.
 - E- Dr. Navina Wadhavani, Associate Professor in Department of Physics– not promoted as Professor as per the recommendation of the selection committee. (Stage 5 under Career Advancement Scheme) as she does not fulfill minimum requirement of API score criteria. The Executive council approved the above referred recommendation of the Selection committee in the matter of Dr. Navina Wadhavani.
 - F- Dr. Ashok Kumar Singh, Associate Professor in Department of Physics Promoted as a Professor – Stage 5 under Career Advancement Scheme.
 - G- Dr. Leena Sinha, Associate Professor in Department of Physics Promoted as a Professor – Stage 5 under Career Advancement Scheme.
- 3- Assistant Professors – stage 02 and 03 – 03 cases (Under New Rules)
 - H- Dr. Atul Srivastava, Assistant Professor in Department of Physics granted next higher grade – stage 3 under Career Advancement Scheme.
 - I- Dr. Aasheesh Awasthi, Assistant Professor in Department of Physics granted next higher grade – stage 3 under Career Advancement Scheme.
 - J- Dr. Chandki Ram Gautam, Assistant Professor in Department of Physics granted next higher grade – stage 3 under Career Advancement Scheme.

- 4- Assistant Professors (Stage – 02 and 03) – 03 cases under (Old/ New Rules, Compliance of Chancellor Order)
- K- Dr. Rajendra Bahadur Singh, Lecturer in Department of Physics Placed in the Senior Scale of Lecturer and then granted next higher grade – stage – 03 under Career Advancement Scheme.
- L- Dr. Daya Shanker, Lecturer in Department of Physics Placed in the Senior Scale of Lecturer and then granted next higher grade – stage – 03 under Career Advancement Scheme.
- M- Dr. Jyotsana Singh, Lecturer in Department of Physics Placed in the Senior Scale of Lecturer and then granted next higher grade – stage – 03 under Career Advancement Scheme.
- 5- Assistant Professors - Stage – 2 – 01 case (New Rules)
- N- Dr. Amarendra Kumar, Assistant Professor in Department of Physics granted next higher grade – stage – 02 under Career Advancement Scheme.
- 6- Assistant Professor (Senior Scale) Stage – 2 – 02 case (Old Rules)
- O- Dr. Mahendra Kumar Agnihotri , Lecturer in Department of Physics Placed in the Senior Scale of Lecturer under Career Advancement Scheme.
- P- Dr. Punit Kumar Agnihotri , Lecturer in Department of Physics granted next higher grade – stage – 02 of pay scale under Career Advancement Scheme.

पूरक कार्य सूची का कार्यवृत्त

- मद संख्या 12 : परिषद द्वारा उच्च शिक्षा अनुभाग-1, उत्तर प्रदेश शासन के पत्र संख्या 836/सत्तर-1-2014-15(15)/2007, दिनांक 20 अगस्त 2014 द्वारा उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय (द्वितीय संशोधन) अधिनियम 2014 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या-14 सन् 2014) एवं तद्विषयक विद्यायी अनुभाग-1 द्वारा निर्गत अधिसूचना संख्या-975/79-वि-1-14-1(क)/ 19/2014 दिनांक 18 जुलाई 2014 से कार्य परिषद अवगत हुई।
- मद संख्या 13 : इस मद को कार्यसूची के मद संख्या 11 के साथ अन्तर्निहित कर लिया गया।
- मद संख्या 14 : वित्तीय वर्ष 2012-13 की Balance Sheet पर परिषद ने सर्वसम्मति से अनुमोदन प्रदान किया।
- मद संख्या 15 : शासनादेश संख्या 968/सत्तर-2-2013-18(99)/2013 दिनांक 30.05.2013 में उल्लिखित प्राविधानों को लखनऊ विश्वविद्यालय की प्रथम परिनियमावली में शीघ्र सम्मिलित करने हेतु कार्य परिषद ने अनुमोदन प्रदान किया।
- मद संख्या 16 : परिषद द्वारा प्रो० रश्मि कुमार, हिन्दी विभाग के पत्र दिनांक 22.08.2014 के द्वारा दिनांक 23.08.2014 से 24.08.2014 तक 02 दिनों का स्वीकृत वेतनरहित असाधारण अवकाश निरस्त करने हेतु अनुमोदन प्रदान किया।
- मद संख्या 17 : लखनऊ विश्वविद्यालय के गणित विभाग में प्रवक्ता के 12 पद के सापेक्ष 07 प्रवक्ता कार्यरत हैं जिसमें प्रवक्ता के 05 पद रिक्त हैं। माननीय उच्च न्यायालय के आदेश दिनांक 02.04.2014 के क्रम में पूर्व में लगाये गये आरक्षण/रोस्टर को शून्य कर दिया गया था तथा उक्त आदेश द्वारा दिये गये निर्देशों की भावना के अनुरूप दिनांक 19.07.2014 को आहूत कार्य परिषद की बैठक की कार्यसूची के इतर मद के

विनिश्चय संख्या 04 के अनुक्रम में निम्नवत् विवरण परिषद के सम्मुख विचारार्थ प्रस्तुत है।

क्रम संख्या	प्रवक्ता वेतनमान में कार्यरत शिक्षक का नाम	विषय	जन्म तिथि	विभाग में रिक्त मौलिक पद की तिथि
1.	डॉ० रेखा श्रीवास्तव	गणित	28.07.1969	03.08.2005
2.	डॉ० एन०वी०सी० शुक्ला	गणित	01.07.1972	07.11.2008
3.	डॉ० स्वर्णिमा बहादुर	गणित	24.10.1972	विभाग में रिक्त 05 पदों के सापेक्ष 02 पद अनु० जाति 01 पद अ०पि०वर्ग के शेष हैं।
4.	डॉ० निधि पाण्डेय	गणित	23.06.1973	

कार्यपरिषद द्वारा क्रमांक 1 व 2 पर अंकित शिक्षकों के प्रकरण को चयन समिति के समक्ष प्रस्तुत करने हेतु सहमति प्रदान की गई तथा अभिमत व्यक्त किया कि क्रमांक 3 व 4 के शिक्षकों की अर्हता तथा आरक्षण व्यवस्था के दृष्टिगत माननीय कुलपति जी द्वारा परीक्षणोपरान्त चयन समिति में उनके प्रकरण प्रस्तुत करने का निर्णय लिया जाए।

मद संख्या 18 :

(1) कार्य परिषद ने विद्या परिषद की बैठक दिनांक 03.09.2014 के कार्यवृत्त पर अनुमोदन प्रदान किया तथा उससे संस्तुत सेमेस्टर प्रणाली पर संचालित परास्नातक पाठ्यक्रमों में सतत् आन्तरिक मूल्यांकन व्यवस्था (Continuous Internal Assessment) को अंगीकृत करने हेतु संकल्प पारित किया तथा तदनुसार सम्बन्धित पूर्व प्राविधान के स्थान पर इस निर्णय के अनुसार नवीन प्राविधान संगत अध्यादेशों में सम्मिलित करने हेतु स्वीकृति प्रदान की।

(2) कार्य परिषद ने Exempted Students के सम्बन्ध में प्राविधान को निम्नानुसार स्पष्ट किया -

"Student who could not continue their studies after taking admission and could not appear in the examination/students who were detained from appearing in examination due to shortage of attendance in any semester, would be eligible for direct re-admission. However student who fails to secure minimum pass marks in a semester would be eligible for either re-admission or to re-appear as an exempted candidate (Ex-student). In case of Back Paper and Exempted candidates, the internal evaluation awards would be carried forward from the previous exam."

कार्य परिषद ने उक्त को भी प्रक्रियानुसार अध्यादेशों में सम्मिलित करने की स्वीकृति दी।


मद संख्या 19:

परिषद द्वारा बिल्डिंग व वर्क्स कमेटी की बैठक दिनांक 03.09.2014 के कार्यवृत्त पर सर्वसम्मति से अनुमोदन प्रदान किया तथा निर्देशित किया कि प्राथमिकता पर बिल्डिंग व वर्क्स कमेटी के निर्णयानुसार अग्रेत्तर कार्यवाही सुनिश्चित की जाए।

कुलपति/अध्यक्ष की अनुमति से अन्य मद पर विचार

(क) परिषद ने विश्वविद्यालय में क्रय समितियों के गठन तथा क्रय नियमों से सम्बन्धित प्रस्तुत अध्यादेश (संलग्नक-2) पर विचार किया तथा निम्नलिखित संशोधन के साथ अनुमोदन प्रदान किया-

"क्रय अध्यादेश में लखनऊ विश्वविद्यालय एथलेटिक्स एशोसिएशन की क्रय समिति में 'वाइस प्रेसीडेन्ट-चेयरपर्सन' के स्थान पर 'चेयरमैन, लखनऊ विश्वविद्यालय एथलेटिक्स एशोसिएशन-चेयरपर्सन' एवं 'चेयरमैन ऑफ द इवेंट कंसर्नड' के स्थान पर 'चेयरमैन ऑफ द क्लब/इवेंट कंसर्नड' "।



- (ख) उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय कर्मचारियों के सम्बन्ध में जारी शासनादेश संख्या 791/सत्तर-4-2014 दिनांक 21.08.2014 से कार्य परिषद अवगत हुई।
- (ग) लखनऊ विश्वविद्यालय की प्रथम परिनियमावली में यूनानी तथा कृषि संकाय को सम्मिलित किये जाने हेतु कार्य परिषद की आगामी बैठक में प्रस्तुत किये जाने का निर्णय लिया गया।
- (घ) कार्य परिषद ने लखनऊ विश्वविद्यालय शिक्षक संघ के पत्र दिनांक 04.09.2014, जिसे परिषद के माननीय सदस्य प्रोफेसर डी०पी०तिवारी द्वारा प्रस्तुत किया गया है, पर कुलपति जी ने परिषद को शिक्षक संघ के प्रस्ताव पर सैद्धान्तिक सहमति सूचित करते हुए अवगत कराया कि प्रकरण में विस्तृत योजना व Working Details बनाये जाने की आवश्यकता है।


(डॉ० अमिताभ प्रकाश)
कुल सचिव / सचिव


(डॉ० एस०बी० निमसे)
कुलपति / अध्यक्ष